बी. विश्वनाथ

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं.306/2008)

13 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.]

अभ्यास और प्रक्रियाः

विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 427 व 448 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि-अभियुक्त की अपील - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में यह बताए बिना कि इसे स्वीकार किया गया या खारिज कर दिया गया, निस्तारित कर दी गई -आदेश में कुछ टिप्पणियाँ शामिल थीं- यह इंगित करने पर कि अपील का कोई नतीजा नहीं निकला, मामले को सूचीबद्ध किया गया और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पूर्ववर्ती आदेश में कारणों और चर्चाओं को तय कर दिया गया था-दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की गई और अपील खारिज कर दी गई-औचित्य-अभिनर्धारितः उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं - उच्च न्यायालय को प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करनी चाहिए थी और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों का उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना चाहिए था -मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित -दंड संहिता, 1860 - धारा 307, 427 और 448 - निर्णय/आदेश – अपील।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने घर में घुसकर अपनी भाभी पीडब्लू-1 और अपनी मां पीडब्लू-2 पर दरांती से हमला किया। विचारण न्यायालय ने उसे भा.द.सं. की धारा 307, 427 और 448 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। 1.7.2006 को उच्च न्यायालय ने अपील का निस्तारण कर दिया। आदेश में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि अपील खारिज की गई या स्वीकार की गई। सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को केवल उन टिप्पणियों का सख्ती से पालन करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे कि जांच अधिकारियों को खून से सने सामान और पीड़ित/आरोपी के रक्त के नमूने, जैसे भी हो, का उल्लेख करना होगा। रक्त समूह के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए जिले या पड़ोसी जिले के चिकित्सीय महाविद्यालय अस्पताल में जहां विधि विज्ञान प्रयोगशाला है भेजे जाने चाहिए। आगे यह निर्देश दिया गया कि जांच के प्रोटोकॉल में अनिवार्य अनुपालन के लिए सुझाई गई प्रक्रिया को शामिल करने के लिए पुलिस नियमावली में उचित संशोधन करने की आवश्यकता है। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह बताया गया कि अपील का कोई नतीजा नहीं निकला, तो मामले को "फॉर बींग स्पोकन टु" शीर्षक के तहत 31.3.2007 को सूचीबद्ध किया गया और यह अवलोकन किया गया कि कारणों और चर्चाओं के आधार पर दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत है।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उचित नहीं है। [पैरा 4] [842-जी]

2. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में केवल एक विशेषता है अर्थात संक्षिप्तता। इसकी कोई अन्य विशेषता नहीं है। इसमें विभिन्न पहलुओं का

उल्लेख भी नहीं है और संक्षेप में गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख है। इस बात पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाली अपीलीय अदालत को न केवल विभिन्न बिंदुओं पर विचार करना है बल्कि साक्ष्यों का निष्पक्ष और आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ऐसा नहीं किया गया है। जिस तरीके से अपील का निस्तारण किया गया है वह अपील से निस्तारण का सही तरीका नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने और/या सबूतों का उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।

[पैरा 5, 6, 14] [842-जी एवं एच; 843-ए; 845-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 306/2008

उच्च न्यायालय कर्नाटक आपराधिक अपील संख्या 993/2001 में बेंगलुरु स्थित के निर्णय और आदेश दिनांक 1.7.2006 और 31.3.2007 से उत्पन्न।

अपीलकर्ता की ओर से: वी.एन.रघुपति और रामी थॉमस

प्रतिवादी की ओर से: संजय आर. हेगड़े और अमित कुमार चावला

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई है। इससे पहले कि हम अपीलों पर विस्तार से विचार करें, कुछ परेशान करने वाली विशेषताओं को उजागर करना आवश्यक है।

3. अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील का निस्तारण 1.7.2006 को किया गया था। आदेश में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि अपील खारिज कर दी गई थी या

स्वीकार की गई थी। सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को केवल कुछ निर्देश दिए गए थे कि वे इन टिप्पणियों का सख्ती से पालन करें कि अनुसंधान अधिकारी पीड़ित/आरोपी के खून से सना सामान और खून के नमूने, जो भी हो, जिले के चिकित्सीय महाविद्यालय अस्पताल या पड़ोसी जिले में भेजें, जिनके पास रक्त समूह के बारे में रिपोर्ट देने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला है। यह भी निर्देश दिया गया कि अनुसंधान के प्रोटोकॉल में अनिवार्य अनुपालन के लिए सुझाए गए प्रक्रिया को शामिल करने के लिए पुलिस नियमावली में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है।

4. जब विद्वान न्यायाधीश को यह बताया गया कि अपील का कोई परिणाम नहीं निकला है, तो मामले को "फॉर बींग स्पोकन टु" शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया गया था और 31.3.2007 को यह देखा गया कि कारणों और चर्चाओं के आधार पर दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज कर दी जाती है। कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि अपनाई गई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उचित नहीं है।

5. मामले के तथ्यों पर आते हुए, केवल एक चीज जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में एक विशेषता अर्थात संक्षिप्तता है। इसकी कोई अन्य विशेषता नहीं है। यह विभिन्न पहलुओं का भी उल्लेख नहीं करता है और संक्षेप में गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख करता है।

6. इस बात पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करने वाली अपीलीय अदालत को न केवल विभिन्न बिंदुओं पर विचार करना है बल्कि साक्ष्यों का निष्पक्ष और आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

7. अभियोजन का मामला यह था कि दिनांक 27.9.2000 को लगभग रात्रि 8.30 बजे आरोपी ने घर में घुसकर अपनी भाभी पीडब्लू 1 पर दरांती से हमला किया और अपनी मां पीडब्लू 2 पर भी दरांती से हमला किया।

8. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 307, 427 और 448 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए।

9. आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। हालाँकि, साक्ष्यों पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 307,427 और 448 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया। अलग-अलग सजाएं दी गईं जिन्हें एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

10. अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष के बारे में केवल निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की गई हैः

> "अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 27.9.2000 को रात 8.30 बजे आरोपी ने घर में घुसकर अपनी भाभी पी.डब्ल्यू.-1 पर दरांती से हमला किया और अपनी मां पी.डब्ल्यू.-2 पर भी दरांती से हमला किया।
>
> 2. पीडब्लू 1 के घाव प्रमाण पत्र से पता चलता है कि दाहिने हाथ पर एक कटा हुआ घाव है, बाएं स्कैपुला के क्षेत्र पर धड़ के पीछे रेखीय खरोंच और दाहिने स्कैपुला क्षेत्र पर रेखीय खरोंच है।

3. पी. डब्ल्यू. 2 के घाव प्रमाण पत्र से खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र में कटे हुए घाव और बाएं क्लैविकल में कोमलता का पता चलता है जिसके परिणामस्वरूप बाएं क्लैविकल और पहली मेटाटार्सल हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है।

4. पी.डब्लू. 1 और 2 ने अभियुक्तों द्वारा उन्हें चोट पहुँचाने के प्रत्यक्ष कृत्यों साक्ष्य का दिया था। पी. डब्ल्यू. 3 एक चश्मदीद गवाह और पी. डब्ल्यू. 1 की बहन हैं। वह अभियोजन पक्ष का समर्थन करती है। घाव प्रमाण पत्र और चिकित्सक के साक्ष्य भी पीडब्लू । और 2 कथनों की पुष्टि करती हैं।"

11. प्रक्रिया में पालन की जाने वाली टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

"कुछ अपराधों में, दोषी ठहराने वाली वस्तुओं पर रक्त के धब्बे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत के पुष्टिकारक टुकड़े के रूप में काम करते हैं, यह स्थापित करके कि धब्बों का रक्त समूह पीड़ित या आरोपी के रक्त समूह के साथ मेल खाता है। ऐसे मामलों में, यह आवश्यक है कि आई. ओ. खून से सनी हुए वस्तुएं और उस व्यक्ति का खून का नमूना भी भेजे जिससे सामान पर लगे खून के धब्बे का संबंध हो। असंख्य मामलों में एक न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल में, मुझे पता चला है कि इस संबंध में की गई जांच पूरी तरह से अधूरी है। जैसा भी मामला हो, संबद्धता साबित करने के लिए पीड़ित या आरोपी के रक्त के नमूने को खून से सने सामान के साथ नहीं भेजा जाता है। मैंने यह भी पाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के रक्त समूह का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार की एकतरफा जांच वस्तुतः एक मूल्यवान वैज्ञानिक पुष्टिकारक साक्ष्य को अधूरा और अप्रभावी बना देती है। मैंने यह भी पाया है कि धब्बों के रक्त समूह के निर्धारण के लिए, रक्त समूह के निर्धारण के

लिए वस्तुओं को बैंगलोर में एफ. एस. एल. को भेजा जाता है। रक्त ग्रुप के संबंध में चिकित्सीय राय देने के लिए जिला अस्पताल की प्रयोगशाला काफी सक्षम है। परिणामस्वरूप, एफ. एस. एल., बैंगलोर के वस्तुओं के संदर्भ में अदालत के समक्ष पूर्ण साक्ष्य रखने में विलंब किया है। अधिकांश मामलों में, साक्ष्य के समय, अभियोजन पक्ष द्वारा एफ. एस. एल. रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। विलंब से बचने के लिए, यह समीचीन है कि आई. ओ. को पीड़ित/आरोपी के रक्त से सना सामान और रक्त के नमूनों को जिले के चिकित्सीय महाविद्यालय अस्पतालों या पड़ोसी जिले में भेजना चाहिए, जिनके पास रक्त समूह के बारे में रिपोर्ट देने लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला है।

गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को खून से सने सामान के संबंध में उपरोक्त टिप्पणियों के सख्ती से अनुपालन के लिए जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस थानों के थानाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिए। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जांच के प्रोटोकॉल में अनिवार्य अनुपालन के लिए सुझाए गए प्रक्रिया को शामिल करने के लिए पुलिस नियमावली में उपयुक्त संशोधन किया जाए।

12. इसके बाद 31.3.2007 का आदेश आता है।वह इस प्रकार हैः

"फॉर बींग स्पोकन टु' पर आदेश"

ऊपर दिए गए कारणों और चर्चाओं के आधार पर दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है। "

14. जिस तरीके से अपील का निस्तारण किया गया है, वह अपील से निस्तारण का सही तरीका नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने और/या अपने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का विश्लेषण करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। स्थिति से ऊपर, हम उच्च न्यायालय के विवादित

फैसले को अपास्त करते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार और निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

15. अपीलें स्वीकार की जाती है।

डीजी

अपीलें स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।